पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित लंबित चालान वादों के त्वरित निस्तारण हेतु लखनऊ में 28 नवम्बर को लगेगी विशेष लोक अदालत

जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मलखान सिंह के मार्गदर्शन में जनपद न्यायालय में होगा आयोजन

सुलह–समझौते के आधार पर ट्रैफिक चालान से जुड़े लंबित मामलों का होगा त्वरित व सुगम समाधान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सोनाली पूनिया ने वादकारियों से किया अवसर का लाभ उठाने का आह्वान

लखनऊ : 19 नवम्बर, 2026

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के अध्यक्ष मलखान सिंह के कुशल मार्गदर्शन में आगामी 28 नवम्बर 2026 (शनिवार) को जनपद न्यायालय, लखनऊ में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की सचिव श्रीमती सोनाली पूनिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के अंतर्गत लंबित ट्रैफिक चालान से संबंधित वादों का सुलह–समझौते के आधार पर त्वरित एवं सुगम निस्तारण करना है। इससे जहां एक ओर वादकारियों को शीघ्र व सुलभ न्याय मिल सकेगा, वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जनपद लखनऊ के समस्त जनसामान्य एवं संबंधित वादकारियों से अपील की गई है कि जिनके भी वाहन चालान से संबंधित मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, वे आगामी 28 नवम्बर 2026 को आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं।

सम्पर्क सूत्र– अमरेश कुमार

राघवेन्द्र / 05:15 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in